"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर 2009—भाद्र 17, शक 1931

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-9/2009/23.—जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना क्रमांक 362 दिनांक 20 फरवरी 2009 को नीचे पुन: प्रकाशित किया जाता है :—

का. आ. 562 (अ)- जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि वर्ष 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की गणना की जायेगी. जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, मार्च 2011 का प्रथम दिवस, 00.00 बजे होगी :

परंतु जम्मू और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख, अक्टूबर 2010 का प्रथम दिवस, 00.00 बजे होगी.

[फा. सं. 9/7/2009-सी.डी. (सेन)]
देवेन्द्र कमारी सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं
जनगणना आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.